

ORDER SHEET

24 of 2016
B.A

THE COURT

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
28/12/2016 12:15 to 12:30 P.M	<p>आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव द्वारा श्री रमेश सिंह यादव अधिवक्ता । राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. । पुलिस थाना मौ से अप.क्र.-131/2016 की केस डायरी प्राप्त ।</p> <p>प्रकरण आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव के जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेतु नियत है । अतः धारा-438 द.प्र.सं. के अग्रिम आवेदनपत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।</p> <p>आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव के प्रथम अग्रिम आवेदनपत्र होने तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई आवेदनपत्र पेश ना करने और विचाराधीन व निरस्त ना होने बाबत श्रीमती मालती का शपथपत्र पेश किया गया है, जिसपर कोई आपत्ति नहीं आयी है । इसलिये आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव के प्रथम अग्रिम आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है ।</p> <p>आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव का कहना है कि फरियादी व हरनारायण ने आपस मिलकर आवेदकगण के विरुद्ध थाना मौ में धारा-451, 294, 506 बी, 34 भा.दं.वि० का झूठा अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें आवेदकगण ने थाना मौ में जमानत करवा ली थी और दि०-21/12/2016 को पुलिस मौ चालान पेश करने के लिए आवेदकगण को बुलाकर लायी, तो एस.डी.ओ.पी. गोहद द्वारा धारा-354 भा.दं.वि० का अपराध बढ़ाये जाने का डायरी में निर्देश दिया जिसपर से धारा-354 भा.दं.वि० का इजाफा किया गया । आवेदक/आरोपी क्र०-1 की पत्नी आवेदक/आरोपी क्र०-2 की बहिन श्रीमती मालतीबाई नैनौली ग्राम पंचायत का चुनाव मंशाराम की पत्नी के विरुद्ध लड़ी, जिसमें दोनों हार गये और कमलाबाई रावत चुनाव जीत गयी, जिसपर से चुनावी रंजिश मान गया एवं हरनारायण कुशवाह निवासी मौ द्वारा आरोपी/आवेदक क्र०-1 की पत्नी मालती के साथ बलात्कार</p>	

किया जिसकी रिपोर्ट थाना मौ में की गयी और विवेचना जारी है। जिसपर से मंशाराम और हरनारायण कुशवाह ने फरियादी गोरीबाई और उसके परिवारवालों से मिलकर यह झूठा अपराध आवेदकगण/आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध किया है। आवेदकगण ग्राम नैनौली कालौनी एवं मडवारी के स्थाई निवासी हैं। उनके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है, अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, वे जमानत की शर्तों का पालन करेंगे। अतः उन्हें उचित प्रतिभूति पर छोड़ने का भी निवेदन किया। समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज पेश किए गये हैं।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है मामला महिला से छेड़छाड़ करने से संबंधित है, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट होता है कि—“दि०-29/06/2016 को 01:20 बजे दिन के समय फरियादी गोरीबाई अपने दरवाजे पर खाना खा रही थी, उसी समय हरदौल जाटव ग्राम मडवारी एवं गंधर्व जाटव ग्राम नैनौली कालौनी दोनों साले बहनोई आये और गंधर्व, हरदौल फरियादी के पास आ गये और फरियादी की खींचातानी की, तब उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया, फरियादी के घर पर कोई नहीं था, तब वह चिल्लाई और कहा कि हाथ छोड़ दो तो फरियादी की बच्ची रेशमा आई, तब दोनों आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव उसे छोड़कर भाग गये, कुछ समय बाद गांववाले भी आ गये।

उक्त आशय का लिखित आवेदनपत्र फरियादी गोरीबाई द्वारा थाना मौ में दि०-29/06/2016 को पेश किया गया, जिसपर से जांच की जाकर जांच उपरांत आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव के विरुद्ध थाना मौ में अपराध क्रमांक-131/2016 पर अंतर्गत धारा-451, 294, 506 बी, 34 भा.दं.वि० पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी।

उक्त धाराओं के तहत संपूर्ण विवेचना की गयी, आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव को थाना मौ पर जमानत दी गयी। एवं समस्त विवेचना उपरांत केस डायरी स्कूटनी हेतु एस.डी.ओ.पी. गोहद को भेजी गयी, तब एस.डी.ओ.पी. गोहद द्वारा धारा-354 भा.दं.वि० का इजाफा किए जाने हेतु एवं फरियादिया का धारा-164 द.प्र.सं. के तहत न्यायालय में बयान कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिसपर से दिनांक-23/12/2016 को सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जे.एम.एफ. सी. गोहद के न्यायालय में फरियादी श्रीमती गोरीबाई का धारा-164 द.प्र.सं. के तहत कथन कराया गया, जिसपर से धारा-354 भा.दं.वि० का केस डायरी में उसी दिनांक को

इजाफा किया गया।

जमानत आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत सूची अनुसार दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिसमें आरोपी/आवेदक गंधर्वसिंह की पत्नी श्रीमती मालती की रिपोर्ट पर से आरोपी हरनारायण के विरुद्ध धारा-376 भा.दं.वि० एवं 03(02)(05)(क) एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध अवश्य है। उससे इस अपराध का कोई संबंध नहीं होना प्रतीत होता है, जहां तक आरोपी/आवेदकगण को झूठा फंसाया जाने का आधार लिया है इस संबंध में गुणदोषों पर निष्कर्ष दिया जाना है। वर्तमान स्टेज पर इसका निर्धारण नहीं होना है। मामला महिला से छेड़छाड़ किए जाने का होकर गंभीर प्रकृति का है एवं आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, बाद विचार गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बगैर आरोपी/आवेदकगण गंधर्व जाटव एवं हरदौल जाटव की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र **निरस्त** किया जाता है।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस हो।

इस प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड